

# मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना

As on Report January 2016

क्र.सं.	योजना के बिन्दू	योजना का विवरण
1	संक्षिप्त परिचय	राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने जिसके अन्तर्गत प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	01 अप्रैल 2013 से
3	लाभान्वित वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को दिया जाता है।</li> <li>बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर महिला को दिया जाता है।</li> <li>बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा।</li> </ul>
4	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को दिया जाता है।</li> <li>बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर महिला को दिया जाता है।</li> <li>बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा।</li> </ul>
5	देय सुविधाएँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को राशि रुपये 2100/- देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।</li> <li>बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर महिला को राशि रुपये 2100/- की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 से देय होगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए बालिका के टीकाकरण का कार्ड/ ममता कार्ड प्रस्तुत करना है।</li> <li>बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अन्तर्गत महिला को राशि रुपये 3100/- देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल 2018 से देय है।</li> </ol>
6	आवेदन का तरीका	राजकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव एवं उपचार कराया जाना।
7	आवेदन कहाँ किया जावे	जिस राजकीय संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव एवं उपचार कराया गया है।
8	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रभारी जहाँ प्रसव एवं उपचार कराया गया है।